बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) विधेयक 2007

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मद्रित
2007

बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) विधेयक 2007

विषय-सूची ।

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. निरसन एवं व्यावृति ।

बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) विधेयक, 2007

भारतीय गणराज्य के संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमितिकरण के कारण बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2004 को निरसन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** । - (1) यह अधिनियम बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. **निरसन एवं व्यावृत्ति** । - (1) बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2004 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2004 के अधीन किया गया या की गयी समझा या समझी जायेगी और बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2004 के निरसन के चलते किये गये कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) बिहार आपदा प्रबंधन (निरसन) अध्यादेश, 2007 (बिहार अध्यादेश संख्या -1, 2007) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(4) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

बि० स० मु० (विधि) 23-मोनो-750+4-

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2004 में बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 अधिनियमित किया गया है । तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा भारत के संविधान की 7वीं सूची -III समवर्ती सूची की 23 वीं प्रविष्टि (समाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि0-26.12.05 को ''आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005'' अधिसूचित किया गया है ।

2. बिहार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि इसका प्रारूप तैयार करते समय कतिपय विसंगतियाँ रह गई हैं तथा इसके कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका क्रियान्वयन किया जाना कठिन है यथा -

(i) अधिनियम की धारा -3 में आपदा प्रबंधन हेतु प्रधान प्राधिकार का जो प्रावधान किया गया है, वह अस्पष्ट एवं भ्रांतिपूर्ण है । प्राधिकार में राज्य सरकार एवं स्थायी तकनीकी समिति को शामिल किया गया है, जबकि किसी गठित प्राधिकार या समिति का सदस्य कोई व्यक्ति या पद विशेष का होना अपेक्षित होता ।

(ii) अधिनियम के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन से सम्बद्ध सामग्री, उपस्कर एवं क्षेत्र की अधिप्राप्ति /गुणवत्ता हेतु स्थायी तकनीकी समिति के गठन का प्रावधान है । राज्य में अभी साहाय्य कार्यों हेतु केन्द्रीकृत क्रय की नीति नहीं रही है । ऐसे भी आकस्मिक स्थितियों का सामना करने हेतु क्रय की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं जिला स्तर पर क्रय/आपूर्ति की व्यवस्था करना ही उचित प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में राज्य स्तर पर स्थायी तकनीकी समिति कहाँ तक क्रय प्रणाली में सुधार लाने में सक्षम होगी, इस पर सदैव प्रश्नचिह्न लगा रहेगा ।

(iii) अधिनियम की धारा 9 में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जीवन एवं सम्पत्ति बीमा अनिवार्य कराने का प्रावधान है । वास्तव में यह प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू करना राज्य सरकार के लिये अत्यन्त दुश्कर होगा एवं साथ ही ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बीमा प्रीमियम, खासकर गरीब वर्ग के लिये अनुदानित करना होगा, जिसपर अत्यधिक व्यय संभावित है । लगभग सम्पूर्ण उत्तर बिहार एक हद तक बाढ़ से प्रभावित होता है एवं बिहार में अधिकांश जिले भूकम्प संवेदनशील भी है । अतः अधिनियम में इस प्रावधान के अन्तर्गत करीब आधी जनसंख्या (लगभग 4 करोड़ व्यक्ति) का जीवन एवं सम्पत्ति बीमा प्रीमियम का बड़ा अंश राज्य सरकार को वहन करने की अपेक्षा होगी । पुनः बीमा कम्पनियाँ कहाँ तक समय